



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180156

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या**

**- 7941 वर्ष 2026**

ओमप्रकाश और अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अजीत कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 71**

**माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला**

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 803 सन् 2018, धारा 457, 380 भा.दं.सं., थाना कासगंज, जनपद कासगंज में इस प्रार्थना के साथ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदकों को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदकों को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदकों के नाम नहीं हैं। जांच के दौरान सह-अभियुक्त के बयान में उनके नाम सामने आए हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि आवेदकों को आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 5576 सन् 2019 में दिनांक 28.02.2019 के आदेश द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था। आज न्यायालय में अनुपूरक शपथपत्र के साथ दाखिल आदेश-पत्र की प्रमाणित प्रति का संदर्भ देते हुए आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आज तक आवेदकों के विरुद्ध केवल समन जारी किए गए हैं और उक्त समन की तामील आवेदकों पर नहीं की गई है।
4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि, वह आवेदकों के किसी आपराधिक पूर्ववृत्त की ओर संकेत नहीं कर सके।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।
6. आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदकों के विरुद्ध समन जारी किए गए हैं। विवेचना के दौरान आवेदकों को गिरफ्तार नहीं किया गया और अब किसी अभिरक्षात्मक पूछताछ अथवा बरामदगी के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है।
7. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामला वर्ष 2018 का है और आवेदकों के फरार होने की बात नहीं कही गई है, आवेदकों को चार सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने तथा बंधपत्र प्रस्तुत कर विचारण में प्रतिभाग करने के निर्देश के साथ जमानत पर रिहा किया जाना उचित होगा।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदकों का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
9. आवेदकगण- **ओमप्रकाश और रवि आज** से चार सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किए जाएंगे:-
  - i. आवेदकगण प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे, जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो;
  - ii. आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे ऐसे व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख किया जा सके;
  - iii. आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;
  - iv. आवेदकगण अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे भयभीत नहीं करेंगे।
10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा।

**(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)**

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



31 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।  
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!